

मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का आधार नम्बर	
आवेदक/परिवार के मुख्य का जनआधार कार्ड संख्या	

प्रार्थी का
फोटो
(पासपोर्ट
साइज)

I	1. प्रार्थी का नाम			<input checked="" type="checkbox"/> किसी भी एक साक्ष्य पर सही का निशान लगावे और उससे संबंधित दस्तावेज सलग्न करें :—																							
	2. पिता/माता/पति/संरक्षक का नाम			क्र. सं.	साक्ष्य	साक्ष्य हेतु संलग्न दस्तावेज																					
	3. वर्तमान स्थायी पता			1.	राजस्थान में पैदा हुआ हो और उसके माता-पिता इस राज्य के मूल निवासी हो	<input type="checkbox"/> माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या <input type="checkbox"/> लगातार 10 वर्षों के बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल(प्रत्येक वर्ष का एक-एक) व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या <input type="checkbox"/> 10 वर्षों के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र																					
	4. पिता/माता/पति/संरक्षक का मूल स्थान																										
	5. पिता/माता/पति/संरक्षक का व्यवसाय																										
	6. जन्म स्थान																										
	7. जन्म दिनांक																										
	8. आपने किस कक्षा तक और कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की :—	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">शिक्षण संस्थान का नाम</th> <th style="text-align: center;">स्थान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">कक्षा 1 से 9</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10 वर्षीय</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12 वर्षीय</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">स्नातक</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">स्नातकोत्तर</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">अन्य</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			शिक्षण संस्थान का नाम		स्थान	कक्षा 1 से 9	10 वर्षीय	12 वर्षीय	स्नातक	स्नातकोत्तर	अन्य		2.	उसका या उसके माता-पिता का राजस्थान में 10 वर्ष या अधिक वर्षों से मकान हो और यदि उनका मकान कही अन्यत्र हो तो वे राजस्थान हो यह राज्य के रूप में अंगीकृत करते हो,	<input type="checkbox"/> माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या <input type="checkbox"/> लगातार 10 वर्षों के बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल(प्रत्येक वर्ष का एक-एक) व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या <input type="checkbox"/> 10 वर्षों के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र
शिक्षण संस्थान का नाम		स्थान																										
कक्षा 1 से 9																										
10 वर्षीय																										
12 वर्षीय																										
स्नातक																										
स्नातकोत्तर																										
अन्य																											
	9. स्वयं/पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण मय स्थान			3.	यह या उसके माता-पिता 10 वर्षों या अधिक से किराये के मकान में रह रहा हो/रहे हो और उसे सिद्ध करने हेतु किरायानामा प्रस्तुत किया जा सकेगा।	<input type="checkbox"/> माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या <input type="checkbox"/> लगातार 10 वर्षों का किरायानामा व चुनाव पहचान पत्र/अन्य फोटो पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस <input type="checkbox"/> 10 वर्षों के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र																					
	10. क्या मतदाता सूची में स्वयं का/पिता/पति का नाम है ?	हाँ/नहीं																										
	11. आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है ?			4.	उन महिलाओं की दशा में जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं हैं और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती हैं जो राजस्थान का मूल निवासी हैं और जो अपने पति के साथ राजस्थान में रहती हैं। सामान्यतया राजस्थान का मूल निवासी मान ली जायेगी चाहे उसके राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्त पूरी न की हो।	<input type="checkbox"/> पति का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र तथा विवाह प्रमाण पत्र																					
	12. मोबाइल नंबर (स्वयं का या अन्य का जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित सूचना चाहता है)																										
II	महिला के लिए :—																											
	1. क्या आप विवाहित/तलाकशुदा/विधवा हैं ?																										
	2. आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ ?			5.	राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के राजकीय उपकरण में तीन वर्ष से स्वयं या उसके माता-पिता कार्यरत हो। (उक्त साक्ष्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र (TSP) के लिए लागू नहीं होगा।)	<input type="checkbox"/> पिता/पति के राजकीय उपकरण में 03 वर्ष पदस्थापित रहने का प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/डाइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र																					
	3. क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी हैं ?																										
	4. आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही हैं ?																										

मैं तसदीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। (मुझे इस तथ्य की पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ—पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

दिनांक :

स्थान :

प्रार्थी के हस्ताक्षर

उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन

(1) मैंपुत्र/पुत्री/पत्नीनिवासी.....
 राजकीय सेवापदपर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
 प्रार्थी/प्रार्थीया श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री
 निवासीको भली भांति जानता हूँ यहवर्षों से उक्त निवास जिला
 राजस्थान में निवास कर रहा/रही है।

दिनांक

(हस्ताक्षर प्रथम उत्तरदायी व्यक्ति)

(2) मैंपुत्र/पुत्री/पत्नीनिवासी.....
 राजकीय सेवापदपर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि
 प्रार्थी/प्रार्थीया श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री
 निवासीको भली भांति जानता हूँ यहवर्षों से उक्त निवास जिला
 राजस्थान में निवास कर रहे/रही है।

दिनांक

(हस्ताक्षर प्रथम उत्तरदायी व्यक्ति)

नोट :- आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न करें :-

1. आवेदक के दो नवीनतम फोटो जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर चिपकाएं (स्टेपल नहीं करें) तथा दूसरी फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
2. संबंधित शपथ-पत्र (शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्धदण्ड से दण्डनीय है।)
3. साक्ष्य के अनुसार जो साक्ष्य लागू हो उससे संबंधित दस्तावजे।
4. उत्तरदायी व्यक्ति (संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य, अराजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रभारी (पुलिस) का प्रमाण पत्र जिस उसकी मोहर या राजकीय सेवा का पहचान पत्र।

दस्तावेजों का विवरण:-

क्र.सं	दस्तावेज का प्रकार	दस्तावेज का सीरियल/रेफरेन्स नम्बर
1.	राशन कार्ड	
2.	बिजली का बिल (के नम्बर)	
3.	जाति प्रमाण पत्र	
4.	मूल निवास प्रमाण पत्र	
5.	जमाबन्दी	
6.	अन्य.....	

(शपथ—पत्र मे असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)

शपथ पत्र

(बालिंग होने की दशा में)

मैं, पुत्र/पुत्री श्री निवासी.....

..... राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करता/करती हूँ कि :-

01. यह है कि मैं का मूल निवासी हूँ।
02. यह है कि मैं वर्तमान में उक्त पते पर निवास कर रहा हूँ।
03. यह है कि मेरी समस्त शिक्षा की है।
04. यह है कि मैंने अभी अपना मूल निवास प्रमाण—पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनावाया है।
05. यह है कि मैं यह सशपथ पत्र अपना मूल निवास प्रमाण—पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही हैं ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

शपथ पत्र

(नाबालिंग होने की दशा में)

मैं, पुत्र/पुत्री श्री निवासी.....

..... राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करता/करती हूँ कि :-

- 1- यह है कि मैं का मूल निवासी हूँ।
- 2- यह है कि मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री है, जो नाबालिंग है इस कारण से यह शपथ पत्र मे अपनी और से पेश कर रहा हूँ जिसकी आयु करीबन वर्ष है।
- 3- यह है कि मेरे उक्त पुत्र/पुत्री का जन्म में ही हुआ है।
- 4- यह है कि मेरा पुत्र/पुत्री की शिक्षा का अध्ययन भी कर रहा है।
- 5- यह है कि मैंने उपरोक्त का मूल निवास प्रमाण—पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनावाया है।
- 6- यह है कि मेरे को अपने पुत्र/पुत्री का मूल निवास प्रमाण—पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही हैं ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

शपथ पत्र

(विवाहित महिलाओं के लिए)

मैं, पत्नी श्री निवासी

..... राजस्थान की हूँ व सशपथ बयान करती हूँ कि :-

01. यह कि मैं विवाह पश्चात उपरोक्त पते पर निवास करती हूँ।
02. यह है कि मेरे पति श्री राजस्थान के मूल निवासी हैं।
03. यह है कि मैंने अभी अपना मूल निवास प्रमाण—पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनावाया है।
04. यह है कि मैं यह सशपथ पत्र अपना मूल निवास प्रमाण—पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही हैं ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांक

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता